न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प–खारीयानींव
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 32/2021

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
1. हगाराम पुत्र नारायणलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम रामासनी बालां तहसील सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री भोलाराम रहिया अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 18.11.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रामासनी बालां, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.6500 हैक्टर की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/20 हक हिस्सा एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई है तथा खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7500 हैक्टर की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/40 हक हिस्सा एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई है। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी का उक्त वर्णित अनुसार हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर बचपन का नाम छगाराम दर्ज कर दिया गया। इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी अनपढ़ एवं निरक्षर होने से प्रार्थी के वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम इन्द्राज न होकर छगाराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम हगाराम है प्रार्थी को घर परिवार समाज में बचपन में हगाराम के नाम से ही पुकारते थे। इसलिये राजस्व कर्मचारियो के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज छगाराम दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम हगाराम ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में हगाराम के नाम से ही जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम हगाराम ही दर्ज है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हगाराम ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में छगाराम, हगाराम प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को हगाराम के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। छगाराम एवं हगाराम नाम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है इसके अलावा अन्य कोई परिवार व पूरे

गांव में इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। राजस्व कर्मचारियों राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम हगाराम के स्थान पर छगाराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नहीं थी, प्रार्थी अनपढ, निरक्षर व्यक्ति होने से तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नही हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 03/01/2021 को प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की पुरानी जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में हगाराम दर्ज न होकर छगाराम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05/01/2021 को प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी के द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम हगाराम दर्ज न कर छगाराम पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी छगाराम का नाम दुरूस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम हगाराम के स्थान पर छगाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम छगाराम के स्थान पर हगाराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दुरूस्त नहीं किया गया। प्रार्थी का नाम छगाराम के स्थान पर हगाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम छगाराम के स्थान पर हगाराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त कृषि भूमि ग्राम रामासनी बालां, तहसील सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा रामासनी बालां, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.6500 हैक्टर कुल 04 खसरा कुल रकबा 2.7500 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम रामासनी बालां के खाता नंबर 68 पुराना खाता नंबर 70 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.8700 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती कर छगाराम के स्थान पर हगाराम के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार सोजत से प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष्य में जॉच कर रिपोर्ट चाही गई। तहसीलरार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/2021/1437 दिनांक 18.11.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रामासनी बाला के खसरा नम्बर 26, 37, 86, 290, 443, 447, 448, 72, 73, 789 से 824, 826 से 843, 850 से 854, 858, 859 व 285 में प्रार्थी का नाम छगाराम पुत्र नारायणलाल दर्ज है। नामा0 संख्या

336 व 337 में प्रार्थी के पिता नारायणलाल फौत होने से दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम छगाराम दर्ज किया गया। पूछताछ करने पर पाया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हगाराम है तथा हगाराम व छगाराम एक ही व्यक्ति है। अतः ग्राम रामासनी बाला के उक्त खसरान में प्रार्थी का नाम छगाराम पुत्र नारायणलाल के स्थान पर हगाराम पुत्र नारायणलाल शुद्ध दर्ज करने की अनुशंषा की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, प्रमाणित जमाबन्दियॉ सम्वत् 2055–58, प्रार्थी स्वयं का मतदाता प्रमाण पत्र, सहकारी किसान कार्ड, विद्युत बिल, बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक डायरी, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा रामासनी बालां, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.6500 हैक्टर कुल 04 खसरा कुल रकबा 2.7500 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम रामासनी बालां के खाता नंबर 68 पुराना खाता नंबर 70 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.8700 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती कर छगाराम के स्थान पर हगाराम के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा रामासनी बालां, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.6500 हैक्टर कुल 04 खसरा कुल रकबा 2.7500 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम रामासनी बालां के खाता नंबर 68 पुराना खाता नंबर 70 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.8700 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती कर छगाराम के स्थान पर हगाराम के नाम से शुद्धि किये जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सरहद मौजा रामासनी बालां, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.5400 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.6500 हैक्टर कुल 04 खसरा कुल रकबा 2.7500 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम रामासनी बालां के खाता नंबर 68 पुराना खाता नंबर 70 के खसरा नम्बर 443 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.2800 हैक्टर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3000 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.0400 हैक्टर,

खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.8700 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती कर छगाराम के स्थान पर हगाराम के नाम से दुरूसत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत